गोपनीय

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

बैठकः 497वीं

तिथिः 10जनवरी, 2014

मद सं.4.03

विचाराधीन मामले का शीर्षक	विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में (2012–2017) सामुदायिक महाविद्यालयों के दिशानिर्देर्शों पर विचार विमर्श

पृष्ठभूमि

योजना आयोग के, 12वीं पंचवर्षीय योजना के दस्तावेजों द्वारा उच्चतर शिक्षा के निपुणता–आधारित विस्तारण पर विशेष बल दिया गया है। अन्य बातों के साथ इस दस्तावेज में सामुदायिक महाविद्यालयों की स्थापना की अनुशंसा की है जिससे विविध आवश्कताओं की पूर्ति हो– जिनमें करियर अभिमुखी शिक्षा उवं कुशलताऐं सम्मिलित हैं जिनमें छात्र प्रत्यक्ष तौर से कार्यबल में प्रवेश करने में सक्षम हो सकेंगे। इस विषय में भारत सरकार ने वर्ष 2012 में राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा अर्हता ढॉचा (नेशनल वोकेशनल एजुकेशन क्वालिफिकेशन्स फ्रेमवर्क)(एनवीईक्यू.एफ) अधिसूचित किया है।

इस ढॉचे को क्रियान्वित करने के लिए सामुदायिक महाविद्यालयों की योजना एक महत्वपूर्ण माध्यम है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने वर्ष 2013–14 के दौरान आरम्भिक परियोजना आधार पर 200 सामुदायिक महाविद्यालय प्रारम्भ कने का निर्णय किया है तथा यूजीसी से कहा गया है कि 100 सामुदायिक महाविद्यालय स्थापित किये जॉए,जबकि शेष 100 महाविद्यालय अखिल भारतीय प्रोद्योगिकी शिक्षा परिषद(ए.आइ.सी.टी.ई) द्वारा स्थापित किये जाऍ।

विचारार्थ बिन्दु

विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के लिये सामुदायिक महाविद्यालयों की परियोजना क्रियान्वयन करने के उद्देश्य से अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने एक विशेषज्ञ समिति इस परियोजना के दिशानिर्देश तैयार करने के लिए फादर जेवियर एल्फोन्ज, भूतपूर्व योजना आयोग सदस्य की अध्यक्षता में गठित की। समिति की बैठक दो बार यूजीसी कार्यालय में हुई तथा उसमें दिशा निर्देशों को अन्तिम रूप दिया गया जो कि (अनुलग्नक)(पृ. 69–91) पर प्रस्तुत है।

आयोग का पूर्ववर्ती निर्णय

आयोग ने अपनी 494वीं बैठक जो 31 जुलाई 2013 को हुई थी इस बैठक में मंत्रालय की सामुदायिक महाविद्यालयों की परियोजना के क्रियान्वयन का अनुमोदन किया, जिसका पूँजीगत अनुदान प्रति महाविद्यालय रु01.00करोड़ था तथा जिसकी समग्र पूँजीगत अनुदान राशि परियोजना के अन्तर्गत रु0100करोड़ थी। यह विषय आयोग के विचारार्थ प्रस्तुत है।

मि.सं. 1–54 / 2013(सीसी / एनवीईक्यूएफ)

संयुक्त सचिव(सीसी)

सामुदायिक महाविद्यालयों के लिये यूजीसी के दिशा निर्देश

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

सामुदायिक महाविद्यालयों की परियोजना

विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के लिये (2012–2017)

प्रस्तावना **मद सं. 4.03 का अनुलग्नक**

शिक्षा, मानव एवं राष्ट्र के सर्वतोमुखी विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वर्तमान एवं भविष्य दोनों कालों में यह एक अद्भुत निवेश है। प्रत्येक देश अपनी शिक्षा प्रणाली को विकसित करता है ताकि अपना विशिष्ट समाजी–सांस्कृतिक परिचय प्रोन्नत कर सके व इसके अतिरिक्त मौजूदा संभावित सुअवसरों के भार के वहन करने में समय की चुनौतियों का साामना कर सके। वर्तमान काल में भारत वर्ष को विश्व के एक युवा देश के रूप में जाना जाता है जिसकी 50 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या 30 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों की है। ऐसा अनुमान है कि वर्ष 2025 तक भारत में विश्व के समस्त कार्यबल का 25 प्रतिशत बल होगा। समस्त जन साख्यिकीय लाभांश को कार्यरत करने के उद्देश्य से भारत वर्ष में एक ऐसी शिक्षा प्रणाली की आवश्यकता है जो उच्च गुएावत्ता युक्त हो, व्यय वहन करने में सक्षम, लचीली एवं विभिन्न व्यक्तियों से समग्र रूप से सापेक्ष हो।

हमारा देश इस समय मॉग–पूर्ति की बेमेल स्थिति का सामना कर रहा है, क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था के लिए और अधिक "कुशल" कार्यबल की जरूरत है साथ ही वार्षिक रूप से तैयार किये जा रहे प्रबन्धकों एवं उद्यमियों की भी और अधिक संख्या में आवश्यकता है। वास्तव में, अधिकांश सम–सामयिकी उच्चतर शैक्षिक संस्थान, कार्य स्थल की आवश्यकताओं से लगभग असम्बद्ध बने रहते हैं। बाजार में उपलब्ध कुशलता अभिमुखी पाठ्यक्रमों की अवधि, शिक्षण–अधिगम के समय निर्धारण, अध्ययन स्थल एवं विषयों के विकल्प के दृष्टिकोण से देश में विद्यमान उच्चतर शैक्षिक प्रणाली भी कठोर है।

योजना आयोग ने 12 वीं पंचवर्षीय योजना के दस्तावेजों में उच्चतर शिक्षा में कुशलता आधारित पाठ्यक्रमों पर विशेष बल दिया है। इस दस्तावेज में सामुदायिक महाविद्यालयों(सीसी) के स्थापन को अनुशंसित किया है जिसमें सम्मिलित है (i) कार्यबल में प्रत्यक्ष भर्ती पाने वाले छात्रों को करियर अभिमुखी शिक्षा एवं कुशलताएॅ प्रदान करना(ii)स्थानीय नियोक्ताओं के लिए अनुबन्धात्मक प्रशिक्षण एवं शिक्षा कार्यक्रम, (iii)माध्यमिक विद्याालयों से निकले ऐसे स्नातक जो पारम्परिक महाविद्यालयों में नामांकन करने के लिये तैयार नहीं है उन्हें उच्च–स्पर्शयुक्त उपचारात्मक शिक्षा प्रदान करना ताकि

उनके लिए 3 अथवा 4 वर्ष वाले संस्थानों में स्थानान्तरित करने का मार्ग सुगम बन सके, एवं (iv)व्यक्तिगत विकास एवं रुचि के लिए समुदाय को सामान्य रुचि वाले पाठ्यक्रम प्रस्तुत करना। योजना दस्तावेज द्वारा यह भी व्यक्त किया गया है कि सामुदायिक महाविद्यालयों को चिन्हित किया जाएगा जिससे कि पद दलित छात्रों तक सुविधापूर्ण पहुॅच बन सके तथा ऐसे महाविद्याल या तो विश्वविद्यालयों से संबद्ध महाविद्यालयों से अथवा सम्पूर्णतः स्वायत्तशासी संस्थानों के रुप में स्थापित किए जा सकते हैं।

सामुदायिक महाविद्यालयों के लिए यूजीसी के दिशा निर्देश

1.प्रस्तावना

1.1 सामुदायिक महाविद्यालय प्रतिमान, कुल मिलाकर, समुदाय के अनेक व्यक्तियों की पहुॅच में होगा, यह कम खर्चीला एवं उच्च गुणवत्तायुक्त, शिक्षा स्थानीय रूप से उपलब्ध कराएगा, जिस शिक्षा में व्यावसायिक कुशलता विकास तथा पारम्परिक पाठ्यक्रम कार्य दोनों सम्मिलित होंगे। इसके संबंध में शिक्षार्थियों को सुअवसर प्रदान करेगा ताकि वे सीधे तौर से रोजगार क्षेत्र में प्रवेश प्राप्त करें अथवा उच्च शिक्षा के क्षेत्र में जाएॅ। यह एक लचीली एवं मुक्त शिक्षा प्रणाली प्रस्तुत करती है जो समुदाय आधारित जीवन पर्यन्त अधिगम आवश्यकताओं का प्रबन्धन करती है। समुदाय, सामुदायिक महाविद्यालय एवं रोजगार बाजार के मध्य इसका पारिस्थितिक संबंध है।

1.2 देश में ऐसे महाविद्यालय स्थापित करने के विचार का समर्थन राज्य शिक्षा मंत्रियों के 22 फरबरी 2012 के सम्मेलन में तथा नौ राज्यों के शिक्षा मंत्रियों की समिति द्वारा एकमत से किया गया था, जो समिति सामुदायिक महाविद्यालय परियोजना की संकल्पना एवं ढॉचे को अन्तिम रूप प्रदान करने के लिऐ गठित की गई थी। समिति ने समस्त सम्बद्ध व्यक्तियों से परामर्श के पश्चात अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रेषित कर दी, जिसे 6 जून 2012 को आयोजित राज्य शिक्ष मंत्रियों के सम्मेलन में सहमति प्राप्त हुई।

1.3 भारत सरकार ने यह रिपोर्ट स्वीकार कर ली है तथा इस परियोजना को 12 वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रस्तावित करने का निर्णय लिया है।

2. उद्देश्य

परियोजना के प्रमुख उद्देश्य हैंः

(i) शिक्षार्थी एवं समुदाय के प्रति उच्च शिक्षा को सापेक्ष बनाना।

(ii) उच्च शिक्षा प्रणाली में सापेक्ष कुशलताओं को समेकित करना।

(iii) जो छात्र वर्तमान में उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं परन्तु वास्तव में जो पहले सुअवसर पर कार्यबल में प्रवेश पाने के इच्छुक हैं, उन्हें कुशलता आधारित शिक्षा प्रदान करना।

(iv) उच्चतर माध्यमिक स्कूल से सफल हुए वे छात्र जो मौजूदा उच्चतर शिक्षा प्रणाली में कार्यरत नहीं होना चाहते हैं, उन्हें रोजगार योग्य एवं प्रमाणिकता योग्य कुशलताओं के साथ आवश्यक सामान्य शिक्षा उपलब्ध करायी जाए।

(v) शिक्षार्थियों की आयु का लिहाज किये बिना उनको अपग्रेड करना एवं उनकी पारम्परिक/अर्जित निपुणताओं को उपलब्ध कराना।

(vi) समुदाय को व्यक्तिगत विकास एवं रुचि के लिए तथा समुदाय आधारित जीवन पर्यन्त शिक्षण हेतु सामान्य रुचि वाले पाठ्यक्रम प्रस्तुत करना व सुअवसर प्रदान करना।

(vii) भविष्य में उच्चतर शिक्षा तक पहुँचने का सुअवसर प्रदान करना।

(viii) सामान्य/व्यावसायिक शिक्षा प्रमाण पत्रों के प्राप्त कर्ताओं को सेतु पाठ्यक्रम उपलब्ध कराना ताकि उचित एन.वी.ई.क्यू.एफ. स्तर के समकक्ष रखा जा सके।

3. लक्ष्य/पात्रता

3.1 सामुदायिकमहाविद्यालयों की परियोजना के क्रियान्वयन के लिये वे समस्त महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय पात्र हैं जो कि यूजीसी अधिनियम 1956 की धारा 2(एफ) एवं 12(बी) के अन्तर्गत सामान्य विकास अनुदान प्राप्त करने के लिए मान्यता प्राप्त हैं। सभी महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय (राज्य, केन्द्रीय एवं सरकारी मानित विश्वविद्यालय) वे अपना प्रस्ताव इस योजना के अन्तर्गत अलुलग्नक "A" में प्रदत्त प्रारुप में यूजीसी को भेजें।

3.2 सामुदायिक महाविद्यालय विश्वविद्यालय का अंग नहीं होना चाहिए, यह राज्य एवं केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के लिए लागू है। तथापि यदि इसे विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित किया जाता है, तो इसका पृथक अस्तित्व होना चाहिए।

4. सामुदायिक महाविद्यालयों का चयन

4.1 सामुदायिक महाविद्यालय, मौजूदा महाविद्यालय/विश्वविद्यालय में स्थापित रहेगा। मेजबान संस्थान का, सामुदायिक महाविद्यालय के रूप में चयन करते समय, ऐसे महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों को अधिमानता दी जाएगी जिनकी स्थानीय उद्योगों में भागीदारों से नजदीकी है। यदि सामुदायिक महाविद्यालय के मेजबान संस्थान के रूप में किसी एक स्वायत्तशासी महाविद्यालय को विचाराधीन रखा जाता है तो इससे पाठ्यचर्चा रुपांकन, आकलन एवं अभिशासन आदि के प्रति और अधिक लाभ होंगे एवं इस परियोजना के अन्तर्गत इसे प्राथमिता प्रदान की जाएगी।

5. सामुदायिक महाविद्यालयों का अभिशासन

5.1 अपने अभिशासन के लिए प्रत्येक सामुदायिक महाविद्यालय एक पृथक प्रबन्धन बोर्ड गठित करेगा जिसमें संबद्ध करने वाले विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि, सापेक्ष उद्योग, उन उद्योगों की सस्थाऐं/व्यावसायिक संघ, स्थानीय निकाय, राज्य सरकार एवं यूजीसी मनोनीत सदस्य समिमलित होंगे। संक्षेप रूप में, आगे से "उद्योग" शब्द का प्रयोग अर्थव्यवस्था के समस्त क्षेत्रों के लिये किया जाएगा, जिनमें निर्माणकर्ता, खनन करने

वाले, सेवाएँ प्रदान करने वाले, कृषि एवं समवर्गी क्षेत्रक सम्मिलित हैं। महाविद्यालय की प्रबन्ध समिति के चेयरमैन/अध्यक्ष ही उस प्रबन्धन बोर्ड के चेयरमैन होंगे तथा इस महाविद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रिंसिपल उस बोर्ड केसदस्य सचिव होंगे। तथा किसी भी भागीदार उद्योग से कोई प्रतिनिधि उस बोर्ड का सह–चेयरमैन/सभाअध्यक्ष होगा। प्रबन्धन बोर्ड आवधिक रूप से बैठक करेगा तथा सामुदायिक महाविद्यालय के क्रियाकलापों का पुनरीक्षण करेगा तथा इसके पश्चात यथा आवश्यक, परन्तु तीन माह में कम से कम एक बार बैठक करेगा।

5.2 अध्ययन बोर्ड (BOS) (बोर्ड आफ स्टडी) में महाविद्याालय, विश्वविद्यालय से प्रतिनिधि होंगे जिससे महाविद्यालय संबद्ध हैं, वे भागीदार उद्योगों से उनकी सभाओं /व्यावसायिक संघों से होंगे। सामुदायिक महाविद्यालय के प्राचार्य सह–अध्यक्ष होंगे। अध्ययन बोर्ड सामु.महा. द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले उन पाठ्यक्रमों का इस आधार पर निर्णय लेगा तथा पाठ्यचर्चा का विकास प्रभावी रूप में सहभागी उद्योग के परामर्श से करेगा।

6. सामुदायिक महाविद्यालयों में पाठ्यक्रम एवं पाठ्यचर्चा

6.1शिक्षा को सापेक्ष करने के उद्देश्य से तथा "उद्योगों के लिये उपयुक्त" (इण्डस्ट्री फिट) कुशल कार्यबल सृजित करने के लिये सामुदायिक महाविद्यालयों को उद्योगों के साथ लगातार सम्पर्क बनाये रखना होगा ताकि स्थानीय अर्थव्यवस्था के लिए इस कार्यबल की आवश्यकताओं के बारे में वे अद्यतन बने रहें। इन महाविद्यालयों द्वारा इस स्थानीय क्षेत्र की सांस्कृतिक परम्परा कोसुरक्षित एवं प्रोन्नत करना चाहिए, वह कला हो, शिल्प हो, दस्तकारी हो,संगीत हो, भवन निर्माणन हो अथवा अन्य ऐसी कोई वस्तु, जो उपयुक्त रूप से रूपांकित पाठ्यचर्चा के माध्यम से हो जिसके प्रति उचित रोजगार के आश्वासन स्व–रोजगार एवं उद्यम विकास हो।

6.2 शिक्षार्थियों द्वारा अर्जित निपुणता को राष्ट्रीय रूप से स्वीकार्य बनाने के उद्देश्य से पाठ्यक्रम एवं प्रमाणन प्रणाली को राष्ट्रीय मानकों के अनुसार बनाया जाना चाहिए। राष्ट्रीयतायुक्त मानवीकृत निपुणता से जुड़े पाठ्यक्रमों के प्रस्तुतीकरण को सुलभ कराने के उद्देश्य से भारत सरकार (मानव संसाधन विकास मंत्रालय) ने पहले ही राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा अर्हता ढॉचा (नेशनल वोकेशनल एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क–एनवीईक्यूएफ) 3 सितम्बर, 2012 (मि.सं. 1–4/2011–वीई) द्वारा अधिसूचित कर दिया है। यह एक राष्ट्रीयतापूर्ण समेकित शिक्षा एवं योग्यता–आधारित निपुणता ढॉचा है जो व्यावसायिक शिक्षा में तथा सामान्य एवं सामान्य तथा व्यावसायिक शिक्षा– इन दोनों के मध्य जो अधिगम के एक स्तर को दूसरे अधिक उच्च स्तर से जोड़ेगा तथा शिक्षार्थियों द्वारा शिक्षा के आरम्भिक चरण से एवं/अथवा कुशलता

पद्धति से उधिक उच्च स्तर तक जोड़ने का कार्य करेगा–इसका यह रूप है। विभिन्न व्यक्तियों को यह अनुमति देता है किवे अपने ज्ञान एवं कुशलता का संवर्धन करें जिसका परीक्षण एवं प्रमाणन सक्षम प्राधिकारियों द्वारा हो तथा उस ज्ञान व कुशलता को प्रमाणन के अधिक उच्च स्तर में परिवर्तित करें जो एक प्रमाण पत्र अथवा डिप्लोमा अथवा अग्रवर्ती डिप्लोगा अथवा स्नातकोत्तर डिप्लोमा अथवा एक डिग्री जो विशिष्ट भाषा शैली वाली हो सकती है। भारतसरकार राष्ट्रीय कुशलता अर्हता ढॉचा (नेशनल स्किल्स क्वालीफिकेशन फ्रेमवर्क–एन.एस.क्यू.एफ) को अन्तिम रूप प्रदान करने की प्रक्रिया में है जो कि एन.वी.ई.क्यू.एफ.को प्रति स्थापित करेगा।

6.3 सामुदायिक महाविद्यालय परियोजना केवल अग्रवर्ती डिप्लोमा स्तर तक का ही होगा।

6.4 सामुदायिक महाविद्यालय, महाविद्यालयों के मामले में स्थानीय उद्योग के परामर्श से पाठ्यक्रम विकसित करेगा जिसेअध्ययन बोर्ड तथापि, विश्वविद्यालय इस विषय में अपने मौजूदा अभ्यासों का अनुकरण करें। ऐसा करतेसमय वे ऐसा प्रयास करें कि अपनी पाठ्यचर्चा को राष्ट्रीय व्यावसायिक के उन मानकों से सुयोजित करें जिन्हें संबद्ध क्षेत्र कुशलता परिषद ने विकसित किया है। इससे शिक्षार्थियों की राष्ट्रीय एवं वैश्विक गत्यात्मकता प्रोन्नत होगी। इसके साथ ही उद्योग द्वारा रोजगार के दृष्टिकोण से अधिक उच्च स्वीकार्यता प्रोन्नत होगी। सामुदायिक महाविद्यालय पाठ्यक्रम के शिल्प एवं पाठ्यचर्चा रूपांकन को एन.वी.ई.क्यू.एफ/एनएसक्यूएफ के साथ संयोजित करने का प्रयास करेंगे।

6.5 यदि समुदायिक महाविद्यालय यूजीसी द्वारा घोषित किसीएक स्वायत्तशासी महाविद्यालय का अंश है तो वह स्वायत्तशासी महाविद्यालयों में पाठ्यक्रमों एवं पाठ्यचर्चा के अनुमोदन के लिये सामान्य प्रक्रिया का अनुसरण करेगा, जैसा भी अनुप्रयोज्य है। यदि वह एक स्वायत्तशासी महाविद्यालय नहींहै तो उस पाठ्यक्रम को निपुणता से जुड़े घटक का पुनरीक्षण उपयुक्त क्षेत्र दक्षता परिषद द्वारा कराया जाए। यदि किसी एक विशिष्ट विषय के लिए कोई क्षेत्र दक्षता परिषद नहीं है तो निपुणता से जुड़े घटक का पुनरीक्षण उपयुक्त स्थानीय संकाय द्वारा कराया जाऐ। किसी भी विश्वविद्यालय के विषय में अनुमोदन की सामान्य प्रक्रिया अनुप्रयोज्य होगी।

6.6 सामुदायिक महाविद्यालय स्थानीयउद्योग की आवश्यकता को देखते हुए ज्ञान–निपुणता,सम्मिश्रित पाठ्यक्रम प्रस्तुत करेंगे जो भिन्न अवधि के होंगे तथा जिन्हें समयोपरान्त विभन्न स्तरो पर एन.वी.ई.क्यू.एफ/एन.एस.क्यू.एफ. द्वारा प्रमाणन प्रदान किया जाएगा। इन पाठ्यक्रमों के व्यावसायिक घटक एन.वी.ई.क्यू.एफ/एन.एस.क्यू.एफ. के समअनुरूप होंगे तथा सामान्य शिक्षा का घटक विश्वविद्यालय के मानदण्डों के समअनुरूप होगा। सामुदायिक महाविद्यालय पूर्ववर्ती कुशलता एवं अधिगम की मान्यता

के सुअवसर प्रदान कर सकते हैं तथा कुशलता एवं अधिगम के मध्य के निश्कर्षों के अन्तराल को सेतुबद्ध करने वाले तथा इस प्रकार से एन.वी.ई.क्यू.एफ/एन.एस.क्यू.एफ. के स्तरों में से किसी एक के प्रमाणन को सुलभ करा सकते हैं।

6.7 पाठ्यक्रम का व्यावहारिक/हाथों में संभाला गया, व्यावसायिक घटक के अंश को प्रत्यक्ष प्रणाली द्वारा पूरा किया जाएगा। तथापि,यदि,अधिगम द्वारा प्राप्त की जाने वाली कुशलता के स्वरूप के कारण, उद्योग इसकी उपलब्धि सम्मिश्रित अथवा दूर शिक्षा प्रणाली द्वारा प्राप्त किए जाने का निर्धारण करता है तो इसका अनुकरण किया जाये। संक्षेप में, अधिगम निष्कर्ष पर बल दिया जाएगा न कि निवेश अथवा प्रक्रियाओं परपाठ्यक्रम के सामान्य स्वरूप को अन्य रूप से पूरा किया जाना चाहिए। परन्तु गुणवत्ताअ से समझौता नहीं किया जाये।

6.8 पाठ्यक्रमों / पाठ्यचर्चाओं का कुशलता संबंधित घटक रोजगार अभिमुखी होगा सामुदायिक महाविद्यालय ऐसे क्षेत्रगत विषयों में पाठ्यक्रम/पाठ्यचर्चा प्रस्तुत करेंगे जिनकी स्थानीय रोजगार क्षेत्र में महत्वपूर्ण मांग है।

6.9 सामुदायिक महाविद्यालय साख आधारित प्रमापीय पाठ्यक्रम प्रस्तुत करेंगे, जिनमें साख के लेने की अनुमति होगी ताकि बहुविध निकास एवं प्रवेश संभव बना रहे। ऐसा होने से शिक्षार्थी प्रमाणन के किसी भी स्तर के प्श्चात रोजगार तलाश सकता है तथा अपने (म./पु.) की योग्यता/निपुणता एवं दक्षता (अपग्रेड) पदोन्नत करने अथवा उच्चतर शैक्षिक प्रणाली में इसके (म/पु) के नियत कार्य और सफलता प्राप्त करने में फिर से, वापिस अपने काम पर, जैसा भी ठीक लगे–आ सकता है। इससे शिक्षार्थी को व्यावसायिक अध्ययन प्रणाली से सामान्य प्रणाली में प्रवेश कर लेने का एवं विलोमतः सुअवसर प्राप्त होगा बशर्ते प्रवेश अर्हता को पूरा किया गया हो। एन.वी.ई.क्यू.एफ/एन.एस.क्यू.एफ. के अगले स्तर की प्रवेश अर्हता एन.वी.ई.क्यू.एफ/एन.एस.क्यू.एफ. के किसी भी स्तर के प्रमाणन द्वारा पूरी मानी जाएगी।

6.10 पूर्ववर्ती अधिगम की मान्यता (आर.पी.एल): वर्तमान के भारत के व्यावसायिक शिक्षा प्रशिक्षण(वी.ई.टी) प्रणाली में ऐसी कोई विधि नहीं है जिससे असंगठित क्षेत्र में कई दशकों तक निष्पादित न करने वाले किसी व्यक्ति के पूर्व अधिगम को मान्यता अथवा प्रमाणन दिया जा सके। यह बात इस देश के विभिन्न भागों में स्थित लोगों के विभिन्न रूप वाले पारम्परिक व्यवसायों के बारे में विशिष्ट रूप से सापेक्ष हैं। आवश्यक अनुभव से युक्त संस्थान पूर्व अधिगम मान्यता(आर.पी.एल.) के निर्धारण का संचालन करने के लिये प्रमाणन निकाय द्वारा प्राधिकृत होंगे। आर.पी.एल. का लक्ष्य दो तरफा होगा; (I) अधिगम प्रणाली से परे अर्जित अधिगम/अर्हता की मान्यता एवं (II) औपचारिक अधिगम द्वारा प्राप्त साखों की मान्यता इससे शिक्षार्थियों के करियर में उन्नति एवं

उनकी पदोन्नति होगी व साथ ही अनुभवी व्यावसायिकों को उपायकुशल व्यक्तियों के रूप में नियुक्त किया जाएगा।

6.11 प्रस्तुत किए गए पाठ्यक्रम तथा पाठ्यचर्चा सहित इनकी सापेक्षता महत्वपूर्ण है। समस्त पण धारियों के साथ परामर्श द्वारा–विशेषकर उद्योगों से जुड़े– उनकी आवश्यकताओं एवं एन.ओ.एस. में परिवर्तनों को देखते हुए पाठ्यचर्चा को सर्वेक्षण, मूल्यांकन एवं अद्यतन बनाने को आवधिक रूप से किया जाना आवश्यक है। स्थानी उद्याोग के परामर्श से पाठ्यक्रम पर निर्णय लेते समय, एन.एस.डी.सी. द्वारा प्रकाशित अन्तराल विश्लेषण रिपोर्ट उद्योग सभाओं, क्षेत्र कुशलता परिषदों, सरकारी एजेन्सियों आदि के भी भार वहन का आकलन किया जाना चाहिए। सामुदायिक महाविद्यालय इसे अपनी प्रणाली में एक अन्तःस्थ निरन्तर एवं गतिशील प्रक्रिया के रूप में निगमित करेंगे।

6.12 सामुदायिक महाविद्यालय शिक्षार्थियों के लिए ऐसे लघु अवधि के प्रमाण पत्र भिन्न–भिन्न मियाद वाले प्रस्तुत करेंगे जो समुदाय की जीवन पर्यन्त अधिगम की जरूरतों को पूरा करने वाले होंगे।

6.13 पाठ्यक्रमों के प्रस्तुतीकरण के प्रभावीपन को तथा पाठ्यक्रमों में सुधार लाने के लिए सामुदायिक महाविद्यालय उचित प्रकार से प्रौद्योगिकी का उपयोग करेंगे।

7. सामुदायिक महाविद्यालय में अवसंरचना एवं संकाय सदस्य

7.1 सामुदायिक महाविद्यालय मौजूदा महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों के चिन्हित भवनों में ही संचालित किए जाएँगे। वे उद्योगों के परिसरों एवं "कुशलता ज्ञान उपलब्ध कर्ता" (एस. के.पी.) का उपयोग यथा आवश्यक रूप से कुशलताएँ प्रदान करने के लिए कर सकते हैं। प्रत्येक सामुदायिक महाविद्यालय के लिये आवश्यक है किवह भागीदार उद्योग से सम्पर्क स्थापित करके अथवा अन्य प्रमाणनएजेन्सी से प्रत्यायित संस्थान के माध्यम से पर्याप्त प्रयोगशाला सुविधाएँ/कार्यशाला सुविधाएँ–जो कुशलता के प्रत्यक्ष सम्प्रेषण हेतु एवं अभ्यास हेतु हैं, उन्हें प्राप्त करें।

7.2 सामुदायिक महाविद्यालयों में संकाय सदस्य विशिष्ट रूप से एक स्थायी आधार वाले होंगे तथा या तो उद्याोगमें से या खुले रूप से अतिथि/अंशकालिक संकाय सदस्यों का वर्ग होना चाहिये/स्थायी/अंशकालिक/अतिथि/संबद्ध संकाय सदस्यों के एक संयुक्त सम्मिश्रण का निर्णय मेजबान संस्थान द्वारा प्रबन्धन बोर्ड की अनुमति से होगा–जो स्थानीय आवश्यकता एवं उपलब्धता पर आश्रित होगा। प्रयोगशाला स्टाफ/अनुदेशकों का नियोजन एवं अनुमोदन प्रबन्धन बोर्ड द्वारा किया जाएगा/अतिथि संकाय के पारिश्रमिक का भुगतान इस परियोजना के अन्तर्गत स्थानीय विद्यमान दरों के अनुसार किया जा सकता है। परन्तु यूजीसी द्वारा निर्धारित दरों से अधिक नहीं हो। तथापि

किसी एक माह में किसी एक विशेष संकाय सदस्य को किए जाने वाले कुल भुगतान पर कोई सीमा रेखा नहीं होगी।

7.3 पाठ्यक्रमों के समग्र समन्वयन एवं उद्योग तथा अन्य पणधारियों के साथ सामुदायिक महाविद्यालय में एक अंशकालीन समन्वयकर्ता होना चाहिएं।

7.4 अतिथि संकाय/ अंशकालीन संकाय आदि के लिए क्षेत्र की समुचित जानकारी व इसके साथ न्यूनतम 2–3 वर्ष का सापेक्ष उद्योग में कार्य अनुभव वांछित है।

7.5 विश्वविद्यालय, तकनीकी शिक्षा संस्थानों एवं उद्योग की सहभागिता से उचित प्रशिक्षण एवं अनावरण पाठ्यक्रमों द्वारा ज्ञान एवं कुशलता तथा प्रशिक्षकों के मानकों को निरन्तर अद्यतन किए जाने की आवश्यकता है।

7.6 मौजूदा संकाय सदस्यों/गैर संकाय सदस्यों प्राचार्य एवं समन्वयनकर्ता सहित मानदेय निम्नवत होगाः–

प्राचार्य	रु.10,000/–प्रतिमाह
समन्वयकर्ता	रु.5,000/–प्रति माह,प्रति पाठ्यक्रम
मौजूदा संकाय सदस्य	रु.500/–प्रति लेक्चरर
विजिटिंग/निजी संकाय संदस्य	रु.1,000/–प्रति लेक्चरर

8. प्रवेश, शुल्क एवं छात्रवृति

8.1 सामुदायिक महाविद्यालय में प्रवेश के लिये न्यूनतम अर्हता–कक्षा 12 सफलता प्राप्त अथवा इसके समकक्ष किसी भी मान्य बोर्ड अथवा विश्वविद्यालय से होना चाहिए। तथापि जो छात्र एन.वी.ई.क्यू.एफ/एन.एस.क्यू.एफ. अनुसरण करके इस स्तर तक पहुॅचेंगे उन छात्रों के नामांकन का प्रावधान होना चाहिए ताकि स्तर–3 एवं स्तर–4 पूरा करने वाले छात्रों को क्षेत्रीय गत्यात्मकता(Vertical Mobility) सुनिश्चित की जा सके।

8.2 सा.महा. द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए स्थानीय समुदाय में रह रहे शिक्षार्थियों को अधिमानता प्रदान की जानी चाहिए। अ.जा.,अ.ज.जा.,अ.पि.व. एवं शा.वि. श्रेणियों वालों को वर्तमान राष्ट्रीय/राज्य नीतियों अनुसार आरक्षण उपलब्ध होगा। सा.महा. में प्रवेश के लिए कोई आयु बाधाा नहीं होगी।

8.3 पाठ्यक्रमों की समयावधि के आधार पर प्रवेश एक घुमावदार आधार पर किये जाएॅ ताकि शिक्षार्थियों की एक मंथर धारा जो महा. में प्रवेश ले रही है वे रोजगार क्षेत्र में वर्ष पर्यन्त और न केवल वर्ष में एक बार ही प्रशिक्षित कार्यबल के रूप में संचरण करें।

8.4 महा. में पुनः प्रवेश के इच्छुक छात्रों को नवीन आवेदनों से अधिमानता दी जानी चाहिए।

8.5 सहायता प्राप्त पाठ्यक्रमों के लिए निर्धारित वर्तमान शुल्क नीति के अनुसार ही छात्र शुल्क तय किया जाना चाहिए।

8.6 छात्र शुल्क से संचालन व्यय के एक अंश की वसूली का प्रयास किया जाना चाहिये।

8.7 परियोजना के अन्तर्गत छात्रों को पाठ्यक्रम में सम्मिलित होने के लिये अभिप्रेरित करने के उद्देश्य से रु.1,000/– प्रति माह की राशि इस योजना के अन्तर्गत छात्रों को दी जानी चाहिए। इसका भुगतान सन्तोषजनक उपस्थिति पर आधारित होना चाहिए।

8.8 प्रवेश प्रक्रिया के अभिन्न अंग के रूप में छात्र परामर्श होना चाहिये अभिवावकों को भी उपयुक्त रूप से संलिप्त किया जाना चाहिए।

9. आकलन

9.1 सामुदायिक महाविद्यालय द्वारा शिक्षार्थियों की ज्ञान एवं कुशलता अर्जन की प्रगति के आकलन का उचित तन्त्र विकसित किया जाना चाहिए। शिक्षार्थियों के आकलन में भागीदार उद्योगों को भी स्पष्ट एवं सुपरिभाषित भूमिका प्रदान की जानी चाहिए।

9.2 समग्र आकलन परियोजना में व्यावहारिक एवं कुशलता युक्त छात्रों को तुलनात्मक रूप से अधिमानता दी जानी चाहिए।

9.3 व्यावसायिक घटक जहॉ पर भी उपलब्ध हों, उनके आकलन एवं निर्धारण के लिए सा. महा. को संबद्ध क्षेत्र कौशल परिषदों (सेक्टर स्किल काउन्सिल) के दिशानिर्देश एवं अनुशंसाओं को अपनाना चाहिए तथा समेकित करना चाहिए। जहॉ भी जरूरी हो, उन्हें एस.एस. सी. को भी आकलन प्रक्रिया में संलिप्त करना चाहिए। यह, स्वायत्तशासी एवं गैर स्वायत्तशासी दोनो प्रकार के महा. पर तथा विश्वविद्यालयों पर लागू है कि वे व्यावसायिक मानकों को एवं नियत कार्य के लिए उपयुक्तता को अनुरक्षित कर सकें।

10. प्रमाणन एवं अवार्ड

10.1 प्रमाण पत्र, डिप्लोमा अथवा अग्रवर्ती डिप्लोमा, यथास्थिति प्रदान किया जाना इस बात पर निर्भर होगा कि प्रमाणन निकाय द्वारा निर्धारित आवश्यक क्रेडिट प्राप्त किये गए हैं, न कि उस पाठ्यक्रम के अध्ययन पर व्यय किए गऐ घण्टे।

10.2 प्रमाण पत्र में अर्जित क्रेडिट, पाठ्यक्रम अवधि (घण्टों में) एवं पाठ्यचर्चा जो पूरी की गई है, वह दर्शाई जाएगी। यदि पाठ्यक्रम एन.वी.ई.क्यू.एफ/एन.एस.क्यू.एफ. से सम्बद्ध है तो अनुरुप एन.वी.ई.क्यू.एफ/एन.एस.क्यू.एफ.स्तर को भी प्रमाण पत्र में दर्शाया जाना चाहिए।

11. क्रेडिट परिकलन के दिशा निर्देश

11.1 इस परिच्छेद में, निर्धारण एवं प्रमाणन निकाय के क्रेडिट ढॉचे के दिशा निर्देश सम्मिलित हैं। निर्धारण एवं प्रमाणन निकाय उनका उपयोग अथवा अनुकूलन करे।

11.2 प्रत्येक स्तर पर बहु प्रयोजन प्रवेश एवं निर्गम को सुलभ करने के लिए निम्न सिद्धान्त का उपयोग, समय को क्रेडिट घण्टों में अन्तरित करने के लिए निम्न सूत्र का उपयोग किया जा सकता है (अथवा किसी स्तर के अन्दर) इसे अर्जित क्रेडिट के समूह के साथ उपयोग कर सकते हैं जिन्हें स्पष्ट रूप से सामु.महा. द्वारा परिभाषित किया गया है।

अ) एक क्रेडिट से तात्पर्य है 14–15 (कक्षा) पीरियड प्रति पीरियड 60 मिनट जो कि क्रमशः सिद्धान्त, कार्यशाला/प्रयोगशाला एवं शिक्षकीय होंगे।

ब) अंतरंग/क्षेत्र कार्य के लिए, समवर्ती घण्टों का क्रेडिट महत्व लेक्चर/कार्यशाला की समयावधि का 50प्रतिशत होगा।

स) स्व–अधिगम के लिये, ई–विषय वस्तु अथवा अन्यथा किसी पर आधारित करके समतुल्य अध्ययन घण्टों, लेक्चर/कार्यशाला से 50प्रतिशत सीमा तक होंगे।

11.3 एक उदाहरण के रूप में, एवार्ड प्रत्येक चरण में निम्नवत तालिका 1 के अनुसार प्रदान किए जा सकते हैं जबकि एन.वी.ई.क्यू.एफ. घटक के स्तर 1 से 4 तक के निपुणता घटकों को पूरा करने के पश्चात प्रवेश करने वाले छात्र पर्याप्त संख्या में हों।

तालिका–1

एनवीईक्यूएफ स्तर	निपुणता शिक्षा क्रेडिट	सामान्य शिक्षा क्रेडिट	सामान्य समयावधि सूची (प्रवेश मानदण्ड पूरे करने के पश्चात)	निर्गत स्थल/एवार्ड
6	72	48	चार सत्र	अग्रवर्ती डिप्लोमा
5	38	24	दो सत्र	डिप्लोमा
	18	12	एक सत्र	अग्रवर्ती प्रमाण पत्र
	9	6	3 माह	प्रमाण पत्र
प्रवेश:10'+2 अथवा इसके समतुल्य प्रमाण पत्र जिसके साथ चरण–1 से चरण–4 के एवीईक्यूएफ के अन्तर्गत व्यावसायिक कुशलता घटक, जो अधिगम परिणामों की पूर्ति करेंगे।				

11.4 तथापि अकादमिक वर्ष 2013–14 एवं 2014–15 के दौरान ऐसे छात्र जिन्होंने 10+2 स्कूली शिक्षा को चरण–4 तक क निपुणता घटक सहित पूरा किया है, संभावित रूप से

बहुत कम अथवा नगण्य ही हैं। इस अवधि में निम्न अभिकल्पना स्वीकार की जा सकती है:–

अ) सत्र–1 में, निपुणता घटक इस प्रकार से रुपांकित किया जा सकता है ताकि छात्रएनवीईक्यूएफ के स्तर–4 से जुड़े अधिगम परिणामों को उपलब्ध कर सके।ऐसी आशा की जाती है कि 10+2 प्रणाली सफल करने वाले छात्र द्वारा इस स्तर के लिए लगायी जाने वाली समयावधि एक ऐसे छात्र की तुलना में 50प्रतिशत कम होगी लो कि 9 वीं से 10 वीं कक्षा के दौरान स्कूली शिक्षा के साथ स्तर–4 को पूरा कर लेता है।

ब) सत्र–2 में निपुणता घटक को इस प्रकार रुपांकित किया जाए ताकि छात्र निपुणता घटक के स्तर–5 के अधिगम परिणामों को आवृत्त कर लें।

स) इसका निहितार्थ यह हो सकता है कि कुछ क्षेत्रों में छात्र पर अधिगम स्तर पर पूर्णता प्राप्त करने के लिये कुछ अतिरिक्त भार आ सकता है।

11.5 अग्रवर्ती डिप्लोमा के पूरे होने पर (120 क्रेडिट) कोई भी छात्र चरण–7(तृतीय वर्ष) में प्रवेश का पात्र होगा, जो कि स्नातक व्यावसायिक पाठ्यक्रम डिग्री वाला होगा।

12. सामुदायिक महाविद्यालयों के लिए वित्तीय सहायता

12.1 क्योंकि सामु.महा. किसी भी मौजूदा महाविद्यालय/विश्वविद्यालय से संचालित किए जाएँगे। अतः उनकी वित्त सम्बंधी आवश्यकताएँ अतिरिक्त संकाय सदस्यों के प्रावधानों तक सीमित होंगी जिन्हें अनुबन्धात्मक आधार पर नियुक्त करके अथवा उन्हें अतिथि संकाय एवं अनका प्रशिक्षण/क्षमता निर्माण/निपुणता उन्नयन, पाठ्यचर्चा, प्रयोगशाला, कार्यशाला सुविधाओं, उपभोज्य एवं शिक्षार्थियों की छात्रवृतियों में विकास द्वारा पूरा किया जा सकेगा। प्रयोगशलाओं/कार्यशालाओं के विकास एवं कार्यशालाओं की कीमत पर अंश कालीन संकाय सदस्यों कोउपलब्ध कराने में सामुदायिक महाविद्यालय उधोगों को सम्मिलित करने का भी प्रयत्न कर सकते हैं। सामुदायिक महाविद्यालय अपनी निधियों के संचालन हेतु विभिन्न सार्वजनिक, निजी भागीदारी के विभिन्न स्वरूपों का सृजन कर सकते हैं।

12.2 मेजबान संस्थान सामुदायिक महाविद्यालय के लिए बजट सहित एक सुस्पष्ट प्रस्ताव निर्धारित प्रारुप में (अनुलग्नक–अ) में तैयार करेगा। इस प्रस्ताव का निरीक्षण यूजीसी में एक विशेषज्ञ समिति करेगी जिसकी अनुसंशा पर वित्तीय सहायता की राशि निर्धारित एवं आवंटित की जाएगी, वशर्ते वह प्रति सामुदायिक महाविद्यालय प्रति वर्ष उच्चतमांक रु01.00करोड़ तक की होगी।

12.3सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के पश्चात यूजीसी द्वारा मेजबान महाविद्यालय/विश्वविद्यालय के प्राचार्य/कुलपति को अनुदान जारी किया जाएगा।

12.4 सामुदायिक महाविद्यालय से संबद्ध गतिविधियों पर व्यय के लिए सामु.महा. के प्राचार्य एक पृथक बैंक खाता खोलेंगे। ई–भुगतान से यूजीसी द्वारा प्रत्यक्ष रूप से इस बैंक खाते में सहायता अनुदान जारी किया जाएगा। सामु.महा. निर्धारित प्रारुप में जैसा अनुलग्नक बी में निर्दिष्ट है, अधिदेश प्रारुप प्रस्तुत करेगा ताकि ई–भुगतान उनके बैंक खाते में प्रत्यक्ष रुप से प्राप्त हो सके। अनुदान, संग्रहित शुल्क, अथवा अन्य किसी भी आय पर अर्जित ब्याज राशि को प्राप्तियों के रुप में दर्शाया जाएगा तथा अतिरिक्त संसाधन मानी जाएगी। जिस राशि को यूजीसी की अनुमति से अनुमोदित मदों पर व्यय किया जा सकेगा। उपयोगिता प्रमाण पत्र में भी इसे दर्शाया जाएगा।

12.5 सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत वार्षिक अनुदान, सामुदायिक महाविद्यालय को तीन किस्तों में जारी किया जाएगा। कुल आवंटित राशि का 50 प्रतिशत प्रथम किस्त के रुप में इस राशि का 40 प्रतिशत द्वितीय किस्त के रूप में तथा कुल राशि का 10 प्रतिशत तीसरी किस्त के रुप में जारी किया जाएगा। इसके बाद वाली किस्तें पहली किस्तों के उपयोगिता प्रमाण पत्र एवऐसे अन्य आवश्यक दस्तावेजों की प्राप्ति पर जारी की जाएगी जैसा यूजीसी द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाता है।

12.6 प्रत्येक सामुदायिक महाविद्यालय निर्धारित प्रारुप में (अनुलग्नक "सी") उपयोगिता प्रमाण पत्र, व्यय विवरण एवं अन्य इसी प्रकार के दस्तावेज, जैसा यूजीसी द्वारा निधारित किया जाएगा–प्रस्तुत करेगा।

13. सामुदायिक महाविद्यालयों के निष्पादन का सर्वेक्षण एवं पुनरीक्षण

13.1 प्रत्येक सामुदायिक महाविद्यालय अपनी गतिविधियों की एक समय आधारित समय सूची तैयार करेगा। जहॉ एक ओर प्राचार्य उस महाविद्यालय की समयबद्ध विशिष्ट उपलब्धियों के लिए उत्तरदायी होगा, तो उसी के साथ उस सामुदायिक महाविद्यालय का प्रबन्धन बोर्ड प्रत्येक तीन महीनों में कम से कम एक बार उसकी आवधिक प्रगति का सर्वेक्षण करेगा। प्रबन्धन बोर्ड की पुनरीक्षण रिपोर्ट निर्धारित प्रारुप के अनुसार (अनुलग्नक–डी) यूजीसी को प्रस्तुत करेगा।

13.2 इस परियोजना में किये जा रहे सर्वेक्षण के अन्तर्गत निम्न क्षेत्रों पर भी अनिवार्य रूप से ध्यान दिया जाना चाहिएः–

अ) महाविद्यालय द्वारा प्राप्त एवं उपयुक्त की गई निधि.

ब) छात्रों की प्रस्तावित भर्ती, हाजिरी में सम्मिलित छात्र, विरत छात्र एवं पाठ्यक्रम अनुसार–प्रमाणित छात्र.

स) व्यवस्थापित छात्र–भूमिका/पद, संगठन, प्रारम्भिक वेतन अवास्थिति.

ड) उद्योग के साथ सह संबद्धः ज्ञापन समझौते, अतिथि प्राध्यापक जिन्हें आमन्त्रित किया गया, अंतरंग अध्ययन अवधि, तथा कार्य से जुड़ा प्रशिक्षण, उनके भवन में, कार्यशाला सुविधाएँ जो उपलब्ध कराई गई हैं। सामुदायिक महाविद्यालय के भवन में उपलब्ध सुविधाएँ, छात्रों को प्रवेश देने की प्रतिबद्धताएँ, वास्तविक रुप से प्रविष्ट छात्रों की संख्या, एवं उनकी औसत वेतन, महाविद्यालय को उपलब्ध कराई गई वित्तीय सहायता।

च) उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुरुप पाठ्यक्रमों का सुयोजन, राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक एवं एनवीईक्यूएफ/एनएसक्यूएफ.।

छ) प्रोगशाला कार्यशाला सुविधाएँ.

ज) स्थानीय समुदाय की आवश्यकताओं के अनुरुप सुयोजन का विस्तार.

14. यह दिशानिर्देश ऐसे सभी महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों पर भी लागू होंगे जिन्हें परियोजना के अन्तर्गत पहले ही अनुमोदित किया गया है।

अनुलग्नक–ए

सामुदायिक महाविद्यालयों की परियोजना

प्रस्ताव प्रारुप

प्रस्तावित सामुदायिक महाविद्यालय के लिए विस्तृत वित्तीय आवश्यकताएँ

1. **प्रस्तावित सामुदायिक महाविद्यालय का विवरणः** (कृपया सुनिश्चित करें कि निम्न विवरण ऐसे समस्त विवरण से मेल खाता है जो यूजीसी के साथ पंजीकृत है।)

1.	मेजबान महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम			
2.	पूरा डाक पता			
3.	सम्बद्ध विश्वविद्यालय का नाम			
4.	क्या यूजीसी अधिनियम 1956 की धारा 2(एफ) एवं 12(बी) के अप्तर्गत वह आवृत्त हैं	हॉ/नहीं	क्या स्वायत्तशासी है	हॉ/नहीं
5.	महाविद्यालय सहायता प्राप्त कर्ता/स्व–वित्तपोषित है			
6.	सम्पर्क किये जानेवाले का नाम, पद, एवं अन्य विवरण(दूरभाष/फैक्स/मोबाइल/ईमेल) संस्थान के अध्यक्ष का			
7.	महाविद्यालय/विश्वविद्यालय की वेबसाइट "यूआरएल"			
8.	अन्य कोई सापेक्ष सूचना जिसे महाविद्यालय /विश्वविद्यालय हमसे बॉटना चाहेगा			

2. प्रस्तावित पाठ्यक्रम का विवरण

क्र. सं.	उद्योग अथवा क्षेत्र का नाम	पाठ्यक्रमों का नाम	अवधि		क्रेडिट की संख्या	प्रवेश संबंधी अर्हता	सहभागी उद्योग	प्रमाणन प्राधिकारी	छात्रों का प्रस्तावित अर्न्तग्रहण
			घण्टे	माह					
1.									
2.									
3.									
4.									
5.									

परामर्श दिया जाता है कि प्रारम्भिक रुप से एक अथवा दो पाठ्यक्रम प्रारम्भ किये जाएँ, उनका क्रियान्वयन सुदृढ़ करे, उनका निष्पादन का पुनरीक्षण हो, तत्पश्चात उसे विस्तारित किया जाए।

3. सामुदायिक महाविद्यालयों की शासी संरचनाः

3.1 प्रस्तावित सामुदायिक महाविद्यालयों के लिए **प्रबन्धन बोर्ड/कार्यकारी परिषद** उसी प्रकार की होगी जैसी कि मेजबान संस्थान के लिए है (हॉ/नहीं)

3.2 सामुदायिक महाविद्यालय के प्रबन्धन बोर्ड/कार्यकारी परिषद के गठन को स्पष्ट रुप से सदस्यों के नाम/पद/सम्पर्क विवरण सहित व्यक्त करें (प्रबन्धन बोर्ड का कम से कम एक सदस्य प्रबन्धन बोर्ड का एक अंग होना चाहिए)

क्र.सं.	नाम	मूल संस्थानों में पद	पता	संपर्क विवरण (मोबाइल, ई मेल)
1.				
2.				
3.				
....				

3.3 सामुदायिक महाविद्यालय के लिये प्रस्तावित अध्ययन बोर्ड क्या मेजबान संस्थान के जैसा ही है ?

3.4 सामुदायिक महाविद्यालय के "अध्ययन बोर्ड" का गठन स्पष्ट करें– सदस्यों के नाम/पद/पता एवं सम्पर्क विवरण सहित (प्रत्येक वाणिज्य/क्षेत्र के लिये अध्ययन बोर्ड में अनिवार्य रुप से उद्योग के भागीदार विषय वस्तु विशेषज्ञ होने चाहिए.)

क्र.सं.	नाम	मूल संस्थान में पद	पता	संपर्क विवरण (मोबाइल/ई मेल)
1.				
2.				
3.				
.....				

4. स्थानीय उद्योग के साथ भागीदारी का विवरण

4.1 पाठ्यक्रम रुपांकन

4.1.1 पाठ्यक्रम में प्रत्येक पाठ्यचर्चा को उद्योग के भागीदार के परामर्श से विकसित किया गया है ? (हॉ/नहीं)

4.1.2 उद्योग के प्रतिनिधियों के विवरण प्रस्तुत करें (नाम/पद/पता) जो प्रत्येक प्रस्तावित पाठ्यक्रम की पाठ्यचर्चा के रुपांकन एवं तैयारी में संलिप्त हैः

क्र.सं.	पाठ्यक्रम का विवरण	उद्योग प्रतिनिधियों का विवरण		
		नाम	संगठन का नाम एवं पता	संपर्क विवरण (मोबाइल/ईमेल)
1.				
2.				

4.1.3क्या यह पाठ्यक्रम संस्थान के अध्ययन बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया है(हॉ/नहीं)

4.1.4 संस्थान के अध्ययन बोर्ड द्वारा पाठ्यक्रम को कब से अनुमोदित किया गया था ?

4.1.5क्षेत्र कुशलता परिषद के राष्ट्रीय व्यावसायिक मानकों एवं एनवीईक्यूएफ/एनएसक्यूएफ द्वारा संयोजन :

क्र.सं.	पाठ्यक्रम का नाम	एनओएस (हॉ/नहीं)	एनवीईक्यूएफ/एनएसक्यूएफ स्तर	टिप्पणी
1.				
2.				

4.2 संकाय की उपलब्धता

क्र.सं.	पाठ्यक्रम का नाम	संकाय की संख्या				उद्योग के भागीदार संकाय सदस्य उपलब्ध करा रहे हैं
		आवश्यकता है	मेजबान संस्थान के पास उपलब्ध	तैनात की जाने वाले अतिथि संकाय	उद्योग भागीदार द्वारा उपलब्ध अतिथि संकाय	
1.						
2.						

4.3 संकाय की प्रशिक्षण संबंधी आवश्यकताएँ

क्र.सं.	पाठ्यक्रम का नाम	अवधि के दौरान आवश्यक प्रशिक्षण का विवरण	प्रशिक्षण उपलब्धकर्ता (महाविद्यालय/उद्योग)
1.			
2.			

4.4 संरचना की उपलब्धता

4.4.1 भौतिक अवसंरचना का विवरण प्रस्तुत करें

क्र.सं.	पाठ्यक्रम का नाम	भौतिक अवसंरचना की उपलब्धता		
		अवसंरचना	मेजबान महाविद्यालय / वि.वि. में उपलब्ध	उद्योग भागीदार द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली
1.		कक्षा		
		प्रयोगशाला		
		कार्यशाला		
		पुस्तकालय		
		आई.सी.टी सुविधा		
		अन्य		
2.		कक्षा		
		प्रयोगशाला		
		कार्यशाला		
		पुस्तकालय		
		आइ.सी.टी. सुविधा		
		अन्य		

4.5 शिक्षार्थी व्यवस्थापन योजनाः

4.5.1.भागीदार उद्योगों में सामुदायिक महाविद्यालय के छात्रों के व्यवस्थापन के लिये योजनाओं का विवरण कृपया उपलब्ध कराएँः

क्र.सं.	पाठ्यक्रम का नाम	शिक्षार्थियों का प्रस्तावित व्यवस्थापन	
		उद्योग भागीदार का नाम	पाठ्य क्रम के अन्त में उद्योग भागीदारीं की आशान्वित संख्या
1.			
2.			

4.5.2. छात्रों के व्यवस्थापन के लिए सामुदायिक महाविद्यालय कैसे एक प्रभावी तन्त्र को स्थापित करेगा ?

4.6 ऐसी अन्य कोई सापेक्ष सूचना जिसे मेजबान संस्थान उपलब्ध कराने का इच्छुक है :–

4.7

5. **व्यय का विवरणः**(ऐसी कल्पना है कि मौजूदा अवसंरचना/संकाय का यथा संभव उपयोग किया जाएगा। जिन व्ययों को यहॉ सूचीबद्ध किया जा रहा है, वे कवल मेजबान संस्थान की अभिवृद्धि की उन जरुरतों के लिए है जो सामुदायिक महाविद्यालयों के संचालन के लिए आवश्यक होंगी)

5.1 मेजबान संस्थान (महाविद्यालय/विश्वविद्यालय) द्वारा जो व्यय किया जाना हैः–

क्र. सं.	**घटक**	**व्यय** (राशि रुपयों में)			**टिप्पणी** (व्यय के लिये औचित्य प्रदान करें)
		वर्ष–1	**वर्ष–2**	**कुल**	
1.	**संकाय /स्टाफ**				
अ.	अनुबन्धात्मक				
ब.	अतिथि				
स.	प्रयोगशाला सहायक				
द.	सा.महा.समन्वयकर्ता				
2.	**प्रयोगशालाओं/कार्यशालाओं के लिए कच्चा माल**				
अ.					
ब.					
स.					
3.	**संकाय प्रशिक्षण**				
अ.					
ब.					
4.	**प्रवेश प्रक्रिया,प्रवेश–पूर्व छात्र परामर्श आदि**				
5.	**कार्यालय व्यय/आकस्मिक**(विज्ञापन दिशा निर्देश एवं परामर्श, यातायात, क्षेत्र दौरे, डाक टिकट, लेख्खन सामग्री, बिजली, पानी इत्यादि)				
6.	**यात्रा**				
7.	**अन्य**				
अ.	आकलन				
ब.	आकस्मिक				

स.	कार्यशालाएँ / सम्मेलन / संगोष्ठियाँ				
द.	छात्रवृति / अन्तरंग अवधि / छात्रों को प्रोत्साहन				
च.	अन्य कोई व्यय				
कुल					

5.2 उद्योग के भागीदार द्वारा किया जाने वाला व्यय

क्र.सं.	घटक	व्यय (राशि रुपयों में)			टिप्पणी (व्यय का आधार व्यक्त करें)
		वर्ष–1	वर्ष–2	कुल	
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
कुल					

6.छात्र / शिक्षार्थी शुल्क विवरणः

क्र.सं.	पाठ्यक्रम	प्रति छात्र शुल्क	प्रस्तावित प्रतिवर्ष छात्र अन्तर्ग्रहण			कुल संग्रहित की जाने वाली शुल्क राशि		
			1–वर्ष	2–वर्ष	कुल	1–वर्ष	2–वर्ष	कुल
1.								
2.								
कुल								

6. ऐसी अन्य कोई सूचना जिसे मेजबान महाविद्यालय / विश्वविद्यालय उपलब्ध कराने का उच्छुक है ?

.————————————————————

हस्ताक्षर– मेजबान संस्थान के अध्यक्ष सील सहित

नाम :

तिथिः

अनुलग्नक–बी

अधिदेश प्रारुप

इलैक्ट्रोनिकी समाशोधन सेवाएँ (क्रेडिट क्लियरिंग)/रियल टाइम ग्रौस सैटलमैंट(आरठीजीएस) सुविधा भुगतानों को प्राप्त करने के लिये

अ. खाता धारियों का विवरण :–

1.	खाता धारी का नाम	
2.	सम्पूर्ण सम्पर्क कर्ता	
3.	दूरभाष सं./फैक्स/ई–मेल	

ब.बैंक खाता विवरण :–

क्र.सं.		
1.	बैंक का नाम	
2.	शाखा का नाम, पूरा पता, दूरभाष सं., ई–मेल	
3.	क्या शाखा कम्पूटरीकृत है ?	
4.	क्या शाखा आटीजीएस युक्त है ? यदि हॉ तो शाखा का आइ.एफ.एस.सी कोड क्या है ?	
5.	क्या शाखा एन.ई.एफ.टी.सक्षम भी है ?	
6.	बैंक खाते का स्वरुप (बचत/चालू/जमा साख)	
7.	बैंक खाते का पूरा पता (अद्यतन)	
8.	एम.आई.सी.आर बैंक कोड	

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त प्रस्तुत विवरण सत्य एवं सम्पूर्ण है। यह सौदा यदि विलम्बित हो जाता है अथवा किसी भी अधूरी अथवा असत्य सूचना के कारण क्रियान्वित नहीं हो पाती है तो मैं प्रयोक्ता संस्थान को उत्तरदायी नहीं ठहराऊँगा। मैंने विकल्प निमन्त्रण पत्र पढ़ लिया है तथा इस परियोजना के अन्तर्गत जिस दायित्व को निभाने की मुझसे आशा की जाती है उसे निभाने के लिए मैं सहमत हूँ।

तिथि :

ग्राहक के हस्ताक्षर

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त विवरण हमारे अभिलेखों के अनुसार सत्य है।

(बैंक की मोहर)

तिथि :

ग्राहक के हस्ताक्षर

1. कृपया चेक की एक छाया प्रति संलग्न करें तथा बैंक से प्राप्त सत्यापन को भी संलग्न करें।
2. यदि किसी स्थिति में आपकी बैंक शाखा "आरटीजीएस" सक्षम नहीं है तो "आरटीजीएस" सक्षम शाखा के रुप में इसके पदोन्नत होने पर कृपया उपरोक्त प्रारुप में शीघ्र इस विभाग को यह सूचना प्रेषित करें।

   नोट :ईभुगतान के संचालन हेतु प्रतिभूति जमा राशि/निर्धारित प्रभार की प्रतिपूर्ति जो 01/04/2012 से प्रभावी है. इसके लिये अधिदेश प्रारुप, बैंक द्वारा विधिवत सत्यापित करके इस कार्यालय को प्रतिभूति राशि की/संचालन राशि की प्रतिपूर्ति हेतु प्रस्तुत किया जाए तथा इसके साथ एक कोरे चेक की प्रतिलिपि भी दी जाए।

अनुलग्नक–सी

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

उपयोगिता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि कुल अनुदान राशि..... (रुपये.....)
जिसे आयोग के पत्र मि.सं.....दिनांक.....
द्वारा स्वीकृत किया गया था, वह राशि महाविद्यालय/विश्वविद्यालय द्वारा संलग्न विवरण पत्र में दिए गए यूजीसी द्वारा निर्धारित निबन्धन एवं शर्तों के अनुसार उपयुक्त कर ली गई तथा समस्त निबन्धन एवं शर्तें महाविद्यालय/विश्वविद्यालय द्वारा पूरी कर दी गई हैं तथा यह अनुदान उस उद्देश्य से उपयुक्त कर लिया गया है जिस उद्देश्य के लिये इसे स्वीकार/मंजूर किया गया था।

इसके साथ यह भी प्रमाणित किया जाता है कि स्थायी एवं अर्द्ध–स्थायी परिसम्पत्तियॉ जो कि यूजीसी द्वारा दिये गए अनुदानों में से समग्र रुप से अथवा प्रमुख रुप से सृजित अथवा मुख्य रूप से उपलब्ध हुई उन्हें निर्धारित प्रारुप में निर्दिष्ट रूप से अनुरक्षित एवं अद्यतन रखा जा रहा है तथा इन परिसम्पित्तियों का न तो विलय अथवा ऋणग्रस्त अथवा किसी अन्य उद्देश्य से उपयोग नहीं किया गया है।

यदि किसी बाद की स्थिति में किसी जॉच पड़ताल के परिणाम स्वरूप अथवा लेखा परीक्षण से कोई अनियमितता पाई जाती है तो महाविद्यालय/विश्वविद्यालय समस्त राशि की प्रतिपूर्ति करेगा।

———————————————————————————

हस्ताक्षर : प्राचार्य/कुलसचिव

हस्ताक्षर :
लेखा परीक्षक सील सहित

नोट : उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ लेखा परीक्षित लेखा विवरण संलग्न होना चाहिए जिसमें विभिन्न मदों पर हुआ व्यय अभिव्यक्त हुआ हो।

अनुलग्लक– डी

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली

वार्षिक प्रगति रिपोर्ट (प्रत्येक सामुदायिक महाविद्यालय द्वारा वार्षिक रुप से यूजीसी को प्रस्तुत किया जाए)

1. महाविद्यालय का नाम एवं पता :

2. महाविद्यालय के प्राचार्य का नाम :

3. प्रगति रिपोर्ट की अवधि :

4. वर्ष भर में संचालित गतिविधियॉ :

5. वर्ष भर में जितनी राशि की उपयोगिता हुई :

6. विशिष्ट परिणाम :

7. क्रियान्वयन में यदि कोई कठिनाइयॉ आई हैं, तो :

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि इस वार्षिक प्रगति रिपोर्ट में प्रस्तुत ऑकड़े/सूचना सत्य हैं एवं मेरे सर्वोच्च संज्ञान के एवं विश्वास के अनुसार शुद्ध है तथा आवश्यक दस्तावेजों को जब भी यूजीसी द्वारा मॅगाया जाता है उसी अनुसार भेज दिये जाऍंगे।

——————————————————

स्थान : हस्ताक्षर : प्राचार्य/महाविद्यालय/
कुल सचिव–विश्वविद्यालय